

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उर सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोविन्द खोस 2. वर्तमान धारित पर अचल सम्पत्ति - 3

3. वर्तमान बंटेन 19500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें स्थिति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1) ग्राम- बीरगुज तह- बीरगुज पिन- बीरगुज	(2) गृह	(3) भूमि	(4) *वर्तमान मूल्य	(5) अचल सम्पत्ति खोज पिन	(6) विरासत	(7) (8)

\* जहां लगन न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य अतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा में प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रत्येक वर्ष और उसमें वह उनके स्वाधिश्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

हरनाथर

नाम गोविन्द खोस

पद अचल सम्पत्ति - 3

दिनांक संस्कृत (अचल सम्पत्ति - 3)